English	Hindi
FACTSHEET	**तथ्य-पत्रक**
HOSPITALITY VENUES	**आतिथ्य स्थल**
Key points	**प्रमुख बिंदु**
From 9am on Friday 9 October 2020, hospitality venues will have three options for calculating usable space.	शुक्रवार 9 अक्टूबर 2020 को सुबह 9बजे से आतिथ्य स्थलों के पास **उपयोग-योग्य क्षेत्र** की गणना करने के लिए तीन विकल्प होंगे।
Option 1: all venues with usable space of 100 square metres or less can have 25 people across the whole premises (includes all indoor/outdoor spaces); OR	**विकल्प 1:** 100 वर्ग मीटर या इससे कम के उपयोग-योग्य क्षेत्रफल वाले सभी स्थलों में पूरे परिसर के अंदर 25 लोग उपस्थित हो सकते हैं (सभी इनडोर/आउटडोर क्षेत्र शामिल हैं); या
Option 2: Venues with usable space between 101 and 200 square metres can have 50 people across the whole venue (includes all indoor/outdoor spaces): OR	**विकल्प 2:** 101 और 200 वर्ग मीटर के बीच उपयोग-योग्य क्षेत्रफल वाले स्थलों में पूरे परिसर के अंदर 50 लोग उपस्थित हो सकते हैं (सभी इनडोर/आउटडोर क्षेत्र शामिल हैं); या
Option 3: Venues can have the sum of: – One person per four square metres of usable space for each indoor space (up to a maximum of 200 people); and – One person per two square metres of usable space for each outdoor space (up to a maximum of 200 people).	**विकल्प 3:** स्थलों में इस योग के बराबर लोग उपस्थित हो सकते हैं: - प्रत्येक इनडोर क्षेत्र के चार वर्ग मीटर उपयोग-योग्य क्षेत्रफल में एक व्यक्ति (अधिकतम 200 लोगों तक); और - प्रत्येक आउटडोर क्षेत्र के दो वर्ग मीटर उपयोग-योग्य क्षेत्रफल में एक व्यक्ति (अधिकतम 200 लोगों तक)।
Businesses must not exceed the capacity limit that applies under standard liquor or fire occupancy loading and regulatory conditions of the venue.	व्यवसायों को मानक लिक़र या फायर के लिए निर्दिष्ट उपस्थितगण सँख्या और स्थल की विनियामक शर्तों के तहत लागू होने वाली क्षमता सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए।

Maximum capacity excludes staff. No modifications can be made to venues. Venues cannot use a combination of the three options. However, if a venue with a larger outdoor area chooses to use option 3, and that outdoor area is unable to be used due to inclement weather, venues can choose to use either option 1 or 2 if this provides a higher volume of patrons.	अधिकतम क्षमता में कर्मचारीगण शामिल नहीं हैं। स्थलों में कोई संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। स्थल तीन विकल्पों के संयोजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि कोई स्थल, जिसके पास अधिक आउटडोर क्षेत्र है, विकल्प 3 का प्रयोग करने का चयन करता है, और खराब मौसम के कारण उस आउटडोर क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वह स्थल विकल्प 1 या 2 का प्रयोग करने का चयन कर सकता है, यदि ऐसा करने से उस स्थल को सेवार्थियों की अधिक सँख्या प्राप्त हो सके।
Usable space means the space that people can freely move around in, but not including:	उपयोग-योग्य क्षेत्रफल से तात्पर्य लोगों को स्वतंत्र रूप से चलने-फिरने के लिए उपलब्ध क्षेत्र से है, लेकिन इसमें ये शामिल नहीं हैं:
-Stages and similar areas -Restrooms, changerooms and similar areas -Areas occupied by fixtures, fittings and displays -Staff only areas and areas that are closed off or not being used.	- मंच और इस प्रकार के क्षेत्र - शौचालय, कपड़े बदलने के कमरे और इस प्रकार के क्षेत्र - जुड़नारों, फिटिंग और प्रदर्शन के लिए रखी गई वस्तुओं वाले क्षेत्र - केवल कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र और प्रवेश-निषेध या उपयोग नहीं किए जा रहे क्षेत्र।
Venue owners, managers and operators must not temporarily divide any usable indoor space or usable outdoor space for the purposes of calculating usable space.	स्थलों के मालिकों, प्रबंधकों और ऑपरेटरों को उपयोग-योग्य क्षेत्रफल की गणना करने के उद्देश्यों से किसी भी उपयोग-योग्य इनडोर स्थान या उपयोग-योग्य आउटडोर स्थान को अस्थायी रूप से विभाजित नहीं करना चाहिए।
If a hospitality venue has more than one indoor space, each space must be enclosed by a roof and walls of solid construction stretching from floor to ceiling.	यदि किसी आतिथ्य स्थल में एक से अधिक इनडोर स्थान हैं, तो ऐसे प्रत्येक स्थान को छत से और फर्श से लेकर छत तक जाने वाली ठोस-पदार्थों से निर्मित दीवारों से घेराबंद होना चाहिए।
Venues must request the first name and phone number of all attendees. Consider using the Check In CBR App, which is free and easy to use. To find out more and register your venue visit the Check In CBR page on the COVID-19 website.	स्थलों को सभी उपस्थितगण से उनके प्रथम नाम और फोन नंबर बताने का निवेदन करना चाहिए। निःशुल्क और उपयोग में आसान Check In CBR ऐप का प्रयोग करने के बारे में सोचें। और अधिक जानकारी तथा अपने स्थल का पंजीकरण करने के लिए COVID-19 वेबसाइट पर Check In CBR पेज पर जाएँ।

Patrons must not stand while eating or drinking, and must remain seated other than when entering and exiting the premises, using bathroom facilities or ordering and paying for food or drinks.	भोजन या पेय पदार्थों का सेवन करते समय सेवार्थियों को खड़े नहीं रहना चाहिए, और परिसर में प्रवेश करने व परिसर छोड़कर जाने, शौचालय सुविधाओं का प्रयोग करने अथवा भोजन या पेयों के लिए भुगतान करने के अलावा अन्य सभी समय बैठे रहना चाहिए।
Hospitality venues must:	**आतिथ्य स्थलों को:**
-clearly display occupancy allowance at the entrance to venues and individual spaces -manage ingress, egress and queuing of all areas to ensure physical distancing -manage the flow of patrons throughout the venue/site to avoid people congregating -ensure patron groups do not mingle with other groups -if possible, ensure separate dining areas have their own bathrooms -if possible, ensure each dining area has its own entrance and exit (the entrance may also function as the exit) and waitstaff.	- स्थलों या प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोग के क्षेत्रों के प्रवेश पर उपस्थित लोगों की अधिकतम अनुमत सँख्या को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए - शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में प्रवेश, निकास और कतार का प्रबंधन करना चाहिए - स्थल/साइट पर सेवार्थियों के प्रवाह का प्रबंधन करना चाहिए, ताकि लोग एक स्थान पर जमा न हो सकें - यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवार्थियों के समूह अन्य समूहों के लोगों के साथ मेल-मिलाप न करें - यदि संभव हो, तो बैठकर भोजन करने के लिए नियत किए गए अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए - यदि संभव हो, तो बैठकर भोजन करने के लिए नियत किए गए अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रवेश और निकास (प्रवेश का उपयोग निकास के लिए भी किया जा सकता है) तथा वेटरकर्मी सुनिश्चित करने चाहिए।
Service and entertainment rules:	**सेवा और मनोरंजन से संबंधित नियम:**
-Alcohol can be sold without a meal, but it can only be consumed by seated patrons to avoid crowds forming. -Patron groups should not mingle with other groups. -Live music is permitted. Performers should stay at least two metres apart from each other and audience members.	- भोजन के बिना एल्कोहल की बिक्री की जा सकती है, लेकिन इसका सेवन केवल बैठे हुए सेवार्थियों द्वारा ही किया जा सकता है, ताकि लोगों की भीड़ जमा होने की स्थिति से बचा जा सके। - सेवार्थियों के समूहों को अन्य समूहों के लोगों के साथ मेल-मिलाप नहीं करना चाहिए। - लाइव संगीत की अनुमति है। कलाकारों को एक-दूसरे से और दर्शकगण से कम से कम दो मीटर की दूरी पर रहना चाहिए।

To protect staff and patrons:	**कर्मचारियों और सेवार्थियों की सुरक्षा के लिए:**
-increase frequency of cleaning of high-touch areas and objects -manage bookings so patrons do not stay at the venue for more than two hours.	- अक्सर स्पर्श किए जाने वाले क्षेत्रों और वस्तुओं की बार-बार साफ-सफाई करें - बुकिंग्स का प्रबधन करें, ताकि सेवार्थी दो घंटों से अधिक समय के लिए स्थल पर उपस्थित न रहें।
Examples	**उदाहरण**
Option 1 – 25 people rule A café in Weston Creek has seated dining. The usable space for customers is 65 square metres so the café can accommodate 25 customers across the whole venue.	**विकल्प 1 - 25 व्यक्ति नियम** वेस्टन क्रीक में स्थित एक कैफे में बैठकर भोजन करने की सुविधा है। सेवार्थियों के लिए 65 वर्ग मीटर का उपयोग-योग्य क्षेत्रफल उपलब्ध है, इसलिए यह कैफे अपने पूरे परिसर में 25 सेवार्थियों को उपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है।
Option 2 – 50 people rule A restaurant in Gungahlin has seated dining indoors and seated dining outdoors. The usable space for customers across the restaurant is 115 square metres, so the venue can accommodate 50 customers across the whole venue.	**विकल्प 2 - 50 व्यक्ति नियम** गनगहलिन में स्थित एक रेस्तरां में बैठकर भोजन करने के लिए इनडोर क्षेत्र और बैठकर भोजन करने के लिए आउटडोर क्षेत्र है। सेवार्थियों के लिए पूरे रेस्तरां में 115 वर्ग मीटर का उपयोग-योग्य क्षेत्रफल उपलब्ध है, इसलिए यह रेस्तरां अपने पूरे परिसर में 50 सेवार्थियों को उपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है।
Option 3 – Indoor/outdoor square metre rule A pub in Canberra City has seated dining indoors and seated dining outdoors. The usable space for customers in the indoor area is 120 square metres, and the usable space for customers in the outdoor area is 110 square metres.	**विकल्प 3 – इनडोर/आउटडोर वर्ग मीटर नियम** कैनबरा सिटी में स्थित एक पब में बैठकर भोजन करने के लिए इनडोर क्षेत्र और बैठकर भोजन करने के लिए आउटडोर क्षेत्र है। इनडोर क्षेत्र में सेवार्थियों के लिए 120 वर्ग मीटर का उपयोग-योग्य क्षेत्रफल उपलब्ध है, और आउटडोर क्षेत्र में सेवार्थियों के लिए 110 वर्ग मीटर का उपयोग-योग्य क्षेत्रफल उपलब्ध है।
120/4 = 30 110/2 = 55	120/4 = 30 110/2 = 55

The cafe can accommodate a maximum of 85 patrons across the whole venue. Or if it is raining and the outdoor area is not suitable for patrons, the pub may choose to use the 50 people rule (Option 2).	यह कैफे अपने पूरे परिसर में अधिकतम 85 सेवार्थियों को उपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है। या अगर बारिश हो रही है और आउटडोर क्षेत्र सेवार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यह पब 50 व्यक्ति नियम (विकल्प 2) का प्रयोग करने का विकल्प चुन सकता है।
For information about holding an event for more than 200 people, please see our new event protocol.	200 से अधिक उपस्थितगण वाला आयोजन करने के बारे में जानकारी के लिए कृपया हमारा नया आयोजन नियम देखें।
For more information on working out capacity limits, see our factsheet on How to apply indoor and outdoor capacity rules in your business or venue.	क्षमता सीमाओं की गणना करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारा यह तथ्य-पत्रक देखें: अपने व्यवसाय या स्थल में इनडोर और आउटडोर क्षमता नियमों को लागू कैसे करें।
This information is correct as of 9 October 2020. For the latest advice on restrictions please check the COVID-19 website or call the COVID-19 helpline on (02) 6207 7244.	यह जानकारी 9 अक्टूबर 2020 के दिन तक सही है। प्रतिबंधों के बारे में अद्यतन सलाह के लिए कृपया COVID-19 वेबसाइट देखें या COVID-19 हेल्पलाइन को (02) 6207 7244 पर कॉल करें।
The **Business Resource Kit** includes: guidelines for creating a COVID Safety Plan; posters for displaying in your business premises; fact sheets and case studies to provide up to date information and clear advice; and other useful resources.	**व्यवसाय संसाधन किट (Business Resource Kit)** में शामिल हैं: COVID सुरक्षा योजना (COVID Safety Plan) बनाने के लिए दिशा-निर्देश; अपने व्यवसाय के परिसर में प्रदर्शित करने के लिए पोस्टर; अद्यतन जानकारी एवं स्पष्ट सलाह प्रदान करने के लिए तथ्य-पत्रक व मामले अध्ययन; और अन्य उपयोगी संसाधन।
Find the kit on the business resources page of the COVID-19 website.	इस किट को COVID-19 वेबसाइट पर व्यवसायों के लिए संसाधन पेज से प्राप्त करें।
Canberra Business Advice and Support Service: Business owners can receive up to four hours of free, tailored advice and access online business development resources. Call (02) 6297 3121.	कैनबरा व्यवसाय परामर्श और समर्थन सेवा (Canberra Business Advice and Support Service): व्यवसायों के मालिक अधिकतम चार घंटों के लिए निःशुल्क, अनुकूलित परामर्श और ऑनलाइन व्यवसाय विकास संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। (02) 6297 3121 पर कॉल करें।
Information in this factsheet is for illustrative purposes only and is not an accurate representation of any particular business.	इस तथ्य-पत्रक में दी गई जानकारी केवल प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए ही है और किसी व्यवसाय-विशेष का यथार्थ प्रतिनिधित्व नहीं करती है।